



प्रेस विज्ञप्ति

30/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने दिनांक **11/09/2024** को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत भुवनेश्वर में खोरदा के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें ओडिशा के सुबरनपुर जिले के सोनपुर पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सतपथी के खिलाफ आरोपियों को दोषी ठहराने और **1.06** करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की प्रार्थना की गई है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक **26/09/2024** को अपराध का संज्ञान लिया है।

ईडी ने प्रदीप कुमार सतपथी के खिलाफ सतर्कता पुलिस स्टेशन, संबलपुर, ओडिशा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और 1.10 करोड़ रुपये की भारी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, **2002** के प्रावधानों के तहत प्रदीप कुमार सतपथी और उनके परिवार के सदस्यों की **1.06** करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया था।